

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जल पथ गांधी नगर, जयपुर।

क्रमांक: No. F25(50)ICDS/Computer/Rajposhan/2015/ 58517-849 दिनांक: 13.4.18

उप निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएँ
समस्त ।


बाल विकास परियोजना अधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएँ
समस्त ।

विषय:— राजपोषण सॉफ्टवेयर 31 मार्च 2018 तक के मानदेय बिल बनाकर पारित करवाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राजपोषण साफ्टवेयर को Open Source Technology में अपग्रेड किया गया है जिसे अतिशीघ्र प्रारम्भ किया जा रहा है।

अपग्रेडेड राजपोषण सॉफ्टवेयर को अतिशीघ्र लागू किये जाने से पूर्व समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि माह मार्च 2018 व इससे पूर्व बकाया रहे मानदेय कार्मिकों के मानदेय बिल दिनांक 20.04.2018 तक बनाकर पारित करवाया जाना सुनिश्चित करें। यदि उक्त दिनांक तक बकाया मानदेय का भुगतान नहीं करवाया जाता है, तो उसके पश्चात राजपोषण सॉफ्टवेयर पर उक्त अवधि के मानदेय बिल बनाया जाना सम्भव नहीं होगा। जिसके लिये सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी उत्तरदायी होंगे।


अपग्रेडेड राजपोषण को लागू करने के लिये दिनांक 23.04.2018 से 27.04.2018 तक राजपोषण में बिल बनाने का कार्य बन्द रहेगा। तथा माह अप्रैल-2018 से मानदेय के बिल अपग्रेडेड राजपोषण के माध्यम से ही बनाये जायेंगे।


(शुचि शर्मा)

आयुक्त
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

No.F25 (50)ICDS/Computer/RajPoshan/2015/ 58550 Jaipur, dated: 13.4.18
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1 वित्तीय सलाहकार, समेकित बाल विकास सेवाएँ, राज., जयपुर।


एनालिस्ट कर्म प्रोग्रामर (उप निदेशक)
समेकित बाल विकास सेवाएँ